संख्या–772/33–3–2014–48/2014

प्रेषक,

एच0एस0 चतुर्वेदी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3

लखनऊ दिनांक 11 जून 2014

विषयः निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 सामान्य हेतु अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत राज्यांश मद में लेखानुदान अवधि हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 5052.03 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र संख्या–5/559/2014–5 /53/2013, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–795/ दस–2014–231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–14 के उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत लेखानुदान अवधि में प्राविधानित धनराशि रू0–5562.0033 लाख के सापेक्ष रू0 5052.03 लाख (रू0 पचास करोड़ बावन लाख तीन हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–795/ दस–2014–231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपद वार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनैनशियल हैण्डबुक के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएँ परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(5) जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(6) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–14 के 'लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायती राज–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–02–निर्मल भारत अभियान–0201–ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु अनुदान (जिला योजना) के.32/रा. 14/नरेगा 45/लाभार्थी09के+रा) –27 –सब्सिडी '' के नामे डाला जाएगा।

(7) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007, दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(8) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

(9) आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेज़िंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नहीं की जाएगी।

(10) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जाएगा।

2– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–795/दस–2014–231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(एच0एस0 चतुर्वेदी)
विशेष सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
4– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
6– एन0आई0सी0 की प्रति।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–2/वित्त (बजट) अनु0–2।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट - III

शासनादेश संख्या - 772/33-3-2[redacted]/2014 दिनांक- 11 जून 2014 का संलग्नक।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0

वर्ष 2014–15 में निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत सामान्य (अनुदान संख्या–14) के लिए राज्यांश मद की लेखानुदान हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आवश्यक धनराशि अवमुक्त करने हेतु फॉट/प्रस्ताव

अनुदान संख्या–14 (धनराशि लाख में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	वर्ष 2014–15 में लेखानुदान अवधि के लिए प्राविधानित राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित धनराशि
1	2	3
1	मेरठ	61.84
2	बागपत	49.00
3	गाजियाबाद	54.39
4	गौतमबुद्धनगर	49.55
5	बुलन्दशहर	83.66
6	सहारनपुर	90.51
7	मुजफ्फरनगर	103.96
8	आगरा	78.91
9	अलीगढ़	77.15
10	हाथरस	72.40
11	एटा	78.46
12	मैनपुरी	45.45
13	मथुरा	50.11
14	फिरोजाबाद	101.18
15	कांशीरामनगर	115.11
16	बरेली	104.87
17	बदायू	0.00
18	पीलीभीत	93.37
19	शाहजहानपुर	97.69
20	मुरादाबाद	210.97
21	ज्योतिबाफूलेनगर	83.04
22	रामपुर	73.44
23	बिजनौर	53.82
24	लखनऊ	0.00
25	रायबरेली	105.58

शासनादेश सं०-772/33-3/2014-48/2014-दिनांक-11 अप्रैल, 20
का संलग्नक II

क्र.सं.	जनपद का नाम	वर्ष 2014–15 में लेखानुदान अवधि के लिए प्राविधानित राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित धनराशि
1	2	3
26	हरदोई	0.00
27	उन्नाव	0.00
28	सीतापुर	148.64
29	लखीमपुर खीरी	105.98
30	फैजाबाद	33.47
31	अम्बेडकर नगर	80.99
32	सुल्तानपुर	84.71
33	बाराबंकी	0.00
34	गोण्डा	50.97
35	बलरामपुर	62.86
36	बहराइच	139.04
37	श्रावस्ती	67.59
38	इलाहाबाद	145.97
39	कौशाम्बी	58.28
40	फतेहपुर	93.50
41	प्रतापगढ़	105.42
42	वाराणसी	55.55
43	चन्दौली	30.50
44	गाजीपुर	44.74
45	जौनपुर	137.50
46	मिर्जापुर	86.56
47	सोनभद्र	28.39
48	संतरविदासनगर	63.16
49	हमीरपुर	51.86
50	बांदा	61.00
51	चित्रकूट	69.17
52	महोबा	34.44
53	गोरखपुर	119.13
54	महाराज गंज	0.00
55	देवरिया	123.37
56	कुशीनगर	156.69

क्र.सं.	जनपद का नाम	वर्ष 2014–15 में लेखानुदान अवधि के लिए प्राविधानित राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित धनराशि
1	2	3
57	बस्ती	112.88
58	सन्त कबीर न0	87.33
59	सिद्धार्थ नगर	51.75
60	आजमगढ़	175.37
61	मऊ	68.14
62	बलिया	68.76
63	कानपुर नगर	63.58
64	कानपुर देहात	39.02
65	फर्रूखाबाद	0.00
66	कन्नौज	63.41
67	इटावा	0.00
68	औरैया	33.50
69	झांसी	55.57
70	ललितपुर	24.87
71	जालौन	33.91
	कुल योग–	**5052.03**